(52)

संख्या–2014 / 33–1–2006–606 / 2000टीसी–I

प्रेषक,

अनीस अंसारी
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक– 12 जुलाई, 2006

विषय– ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों के सम्पादन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इन कर्मियों को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी अब अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रहते हुए ही अपने विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2– ग्राम विकास अधिकारियों को अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ–साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम 4 ग्राम पंचायतों में सचिव, ग्राम पंचायत का कार्य करने के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 25–क के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। सचिव, ग्राम पंचायत के दायित्वों के निर्वहन हेतु ग्राम पंचायतों का आवंटन का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों से संबंधित किसी कृत्य में शिथिलता दर्शाने पर ग्राम विकास अधिकारियों को लघु दण्ड देने का अधिकार जिला

पंचायत राज अधिनियम ... किन्तु दीर्घ स्तर पूर्ववत ग्राम विकास अधिकारी के लिए ... प्राविधानों ... निहित होगा।

4— ग्राम ... दायित्वों के निर्वहन हेतु इन कर्मियों को पृथक से कोई ... भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5— ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के आवंटन की प्रस्तर—2 में उल्लिखित कार्यवाही प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाय, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

6— ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों के सम्पादन का दायित्व सौंपे जाने हेतु उक्त निर्देश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में अन्तर्ग्रस्त सिंचाई विभाग के नलकूप चालकों के अधिकारों एवं दावों को प्रभावित किए बिना निर्गत किए जा रहे हैं और यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन होंगे अर्थात् प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश ही अंतिम होगा।

7— उक्त आदेश ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अनीस अंसारी)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या—2014(1)/33—1—2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

... मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
... उ0प्र0 शासन।
... उ0प्र0, लखनऊ।
... लखनऊ।
... उ0प्र0 शासन।
... प्रदेश।
... आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
... निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अजय कुमार जोशी)

प्रेषक

संख्या: 2970/33-1-2009-3762/08

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक : 01 सितम्बर, 2009

विषय: क्षेत्र पंचायतो के नियामक कार्यो एवं पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमो को प्रभावी बनाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-92 मे खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी है। इस प्रयोजन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्य अधिनियम मे परिभाषित है परन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की क्षेत्र पंचायत के कार्यकलापो में कोई भूमिका परिभाषित न होने के कारण उनका कोई योगदान क्षेत्र पंचायत के कार्यकलापो में नही हो पाता है। स्थानीय स्तर पर भी खण्ड विकास अधिकारियो द्वारा भी बहुधा कोई सुस्पष्ट उत्तरदायित्व उन्हें नही दिये जाने की बात संज्ञान में लायी गयी है। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग द्वारा क्षेत्र पंचायतो को विभिन्न कार्यक्रमो, यथा - राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि योजनाओ के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन किया जा रहा है परन्तु क्षेत्र पंचायत से संबंधित कार्यो के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी की भूमिका स्पष्ट न होने का करण उनके द्वारा न तो क्षेत्र पंचायतों के कार्यो का निरीक्षण किया जाना सम्भव हो पा रहा है और न ही क्षेत्र पंचायतों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा पा रहा है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था मे मध्यवर्ती स्तर की क्षेत्र पंचायत के नियामक एवं विकासात्मक कार्यकलापो को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

(1) क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन एवं उसके नियंत्रण मे सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) क्षेत्र पंचायत के समस्त नियामक कार्यों का सम्पादन करेगा और पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओ का अनुश्रवण एवं निरीक्षण करेगा।

(2) जिला पंचायत राज अधिकारी, जो पंचायतीराज विभाग का जनपद स्तरीय अधिकारी है, को क्षेत्र पंचायतो से संबंधित नियामक एवं पंचायती राज

विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओं/कार्यों के अनुश्रवण व निरीक्षण हेतु अधिकृत किया जाता है। इस निमित्त क्षेत्र पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के समय क्षेत्र पंचायतों से संबंधित जिन अभिलेखों की आवश्यकता होगी, उन्हें उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, क्षेत्र पंचायत का होगा।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या : 2970 (1)/33-1-2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— स्टाफ अधिकारी, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3— स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6— आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7— निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
8— निदेशक पंचायतीराज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
9— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
11— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० के० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्याः 667/33-1-2013-696/2000टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊः दिनॉक 25 फरवरी, 2013

विषयः- ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों के सम्पादन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2014/33-1-2006-696/2000टी0सी0-1, दिनांक 12 जुलाई 2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण में रखते हुए उन्हें अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम् 04 ग्राम पंचायतों में 'सचिव', ग्राम पंचायत का कार्य करने के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-'25-क' के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिकृत किया गया था। उक्त शासनादेश दिनांक 12 जुलाई 2006 द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों को अधिकतम 04 ग्राम पंचायतों में 'सचिव' के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित सीमा एंव जनपद स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की कमी के कारण पंचायतों के कार्यो पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का तथ्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में निरंतर लाया जा रहा है।

2- इस संबंध में समयक् विचारोपरान्त ग्राम पचायतों के कार्य के सुचारू सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या-2014/33-1-2006-696/2000टी0सी0-1,दिनांक 12 जुलाई 2006 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम विकास अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में रखते हुए अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-'25-क' के प्राविधानों के अन्तर्गत 'सचिव', ग्राम पंचायत का कार्य करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है । इस संबंध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायः-

(1) ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के बीच ग्राम पंचायतों का यथासम्भव बराबर-बराबर विभाजन किया जाय।

(2) ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी स्वयं के लिए आवंटित ग्राम पचायतों में ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के समस्त कार्य का निष्पादन करेगे।

(3) उक्त कर्मियों को ग्राम ...... का आवंटन जिला पंचायत राज अधिका... प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना विषयक शासनादेश संख्या–1295/33–3–2011–135/9टी0सी0 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों के आवंटन में 5000 से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायतों में ...यत अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों के पूल से यथासम्भव पृ...क ग्राम पंचायत सचिव की तैनाती की जाय।

(5) उक्तानुसार ग्राम ...तों में अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु इन कर्मियों को पृथ...ई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
कृषि उत्पादन आयुक्त
उ0प्र0 शासन।

संख्याः 667(1)/33–1–2013–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–478/पी0एस0एम0एस0/2012 दिनांक 19 मई 2012 के कम में।
(4) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(8) समस्त उप निदेशक (पंचायत), मण्डल, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(साजिद अली)
प्रमुख सचिव।